# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारीः–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

**मुकदमा संख्याः– 70 / 2022**

1. मनजीत सिंह पिसरान जलौर सिंह जाति जटसिख साकिन पीलीबंगा गाँव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. बेअन्त सिंह पिसरान जलौर सिंह जाति जटसिख साकिन पीलीबंगा गाँव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— प्रार्थीगण

**–:बनामः–**

1. बागा सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली हाल दौलतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

—— अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रा.का.अधिनियम**

–:उपस्थित अभिभाषकगणः–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता —— प्रार्थीगण
2. श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता —— अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा —— अप्रार्थी सं. 2

**–:निर्णयः–**

**दिनांकः–** 05/08/2024

प्रार्थीगण ने जरिये वकील श्री अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "क" आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने रास्ता स्वीकृति हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्लयू–बी के खाता स. 19 / 33 के प.नं. 44 / 343 के किला नं. 6, 11 ता 25 की 4.048 हैक्ट. भूमि में से प्रार्थीयान प्रत्येक का 5 / 32, 5 / 32 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं.1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्लयू–बी के खाता स. 30 / 25 के प.नं. 44 / 343 (35) किला नं. 1 / 1, 2 ता 5 की 1.139 हैक्ट. कमांड खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीयान के नाम दर्ज भूमि का कब्जा काश्त चक 4 एन.एस.डब्ल्यु. बी के खाता सं. 19 / 33 के पं.नं. 44 / 343(35)के किला नं. 6 / .013, 15–16 / .506, 23 / .240, 24–25 / 0.506 की 1.265 हैक्ट. भूमि पर है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थीगण के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 4 एनएसडब्लयू–बी के खाता सं. 30 / 25 के प.नं. 44 / 343(35)के किला नं. 1 / 1 / .127, 2 ता 5 / 1.012 की 1.139 हैक्ट. भूमि के किला नं. 5 में 0.013 हैक्ट. यानि 1 बिस्वा बजानिब पूर्वी दिशा में उतर दक्षिण लम्बे छोड़े गए रास्ते से आना जाना करते है व कृषि औजार लाते व ले जाते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। लेकिन अब अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी भूमि में से किला नं. 5 में चालू रास्ते को बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीयान को आने जाने में परेशानी हो रही है और प्रार्थीयान का अपने खेत में आना जाना बन्द हो गया है। इसलिये अब प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में से किला नं. 5 / 0.13 हैक्ट. [illegible] बजानिब पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण डीएलसी दर की दौगुना राशि अप्रार्थी सं. 1 को देने के लिये तैयार है। [illegible] धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थना [illegible] क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार [illegible] जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्र[illegible] पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत [illegible]दन है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में से चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44 / 343(35) किला नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.14 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

5 में 0.013 हैक्ट. रास्ता बजानिब पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की औरं से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में कृषि भूमि की हद तक स्वीकार है। उक्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण के अलावा अन्य संयुक्त खातेदार काश्तकार जगसीर सिंह पुत्र मेला सिंह, भादर सिंह पुत्र दयाल सिंह का भी हिस्सा है जिनका वर्णन प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में नही किया है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को मात्र रंगत देने के लिये अपना कब्जा काश्त दर्शाया है जबकि उक्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि पर संयुक्त खातेदार अपने हिस्सा अनुसार शान्तिप्रिय काबिजकाश्त है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त सयुक्त खाता की कृषि भूमि दिनांक 16.08.2012 को मेला सिंह से 1.265 हैक्ट. खरीद की जिसमें विक्रेता द्वारा वरवरक्त बैयनामा में क्रेता को प.नं. 44/343(35) किला नं. 21 ता 25 की 1.265 हैक्ट. भूमि का कब्जा सौंपा गया था। जिस पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। किला नं. 23 में प्रार्थीगण का पाईप लाईन का नक्का बना हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष किला नं. 5 में रास्ता खोलने हेतू पेश किया गया जो श्रीमान जी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा को वास्ते कार्यवाही हेतू प्रेषित किया गया जिसमें तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा पटवार हल्का से रिपोर्ट चाही गई, पटवार हल्का द्वारा दिनांक 19.04.2022 को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की कि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 के किला नं. 6, 11 ता 25 की 4.048 हैक्ट. कृषि भूमि में से बेअन्त सिंह, मनजीत सिंह पिसरान जलौर सिंह के नाम 1.265 हैक्ट., भादर सिंह पुत्र दयाल सिंह की 1.518 हैक्ट. व जगसीर सिंह पुत्र मेला सिंह के नाम 1.265 हैक्ट. कृषि भूमि सयुक्त खाता में दर्ज कागजात है। किला नं. 6 व 11 ता 15 मौके पर भादर सिंह के कब्जा काश्त में है, किला नं. 16 ता 20 मौके पर जगसीर सिंह पुत्र मेला सिंह के कब्जा काश्त मे है, किला नं. 21 ता 25 मौके पर बेअन्त सिंह – मनजीत सिंह के कब्जा काश्त में है। इस प्रकार से प्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा किला नं. 6 में इस आशय से दर्शाया है कि अप्रार्थी सं. 1 के चिपते ही अपनी कृषि भूमि बताकर किला नं. 5 में रास्ता स्वीकृत करवाया जा सके। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र मनगढ़त तथ्यों पर पेश किया गया है जो काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 30/25 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1/1/.127, 2 ता 5/1.012 की 1.139 हैक्ट. भूमि पर अपना कब्जा बताकर किला नं. 5 में 0.026 हैक्ट. यानी 2 बिस्वा रास्ता बंजानिब पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता चाहा गया है व चालू बताया गया है। यह रास्ता कभी भी चालू नही रहा है व किला नं. 5 में रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि किला नं. 21 ता 25 में नही पहुंच सकते। चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 किला नं. 16 में बजानिब पश्चिम दिशा में मकान बना हुआ है व कुंआ लगा हुआ है, किला नं. 15 में सौलर लगा हुआ है। प.नं. 44/343 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मौका पर सिंचाई खाला चल रहा है। जो कि राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है परन्तु मौका पर खाला चालू है। जो कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है। चक 4 एन. एस.डब्ल्यू.–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 21 ता 25 में आने के लिये अप्रार्थी सं.1 व उक्त संयुक्त खाता के काश्तकार जगसीर सिंह पुत्र मेला सिंह, भादर सिंह पुत्र दयाल सिंह, एक अलग खाता जगसीर सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 22/13 के प.नं. 44/343 (35)किला नं. 1/2, 7 ता 10 की 1.138 हैक्ट. कमांड भूमि के काश्तकार किला नं. 1, 10, 11, 20 में बजानिब पश्चिम दिशा में 0.025 – 0.025 हैक्ट. रास्ता देने के लिये सहमत है। रास्ता की एवज में आई कृषि भूमि अप्रार्थी सं. [illegible] जाकर रास्ता किला नं. 1, 10, 11, 20 में बजानिब पश्चिम दिशा में 0.025 – 0.0[illegible] हैक्ट. [illegible]कृत किया जाता है तो किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति व एतराज [illegible] अगर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो यह रास्ता सभी काश्त[illegible] कृषि भूमि में आने जाने के लिये लगेगा। कोई भी संयुक्त खाता का काश्तकार रास्ता से व[illegible] नहीं रहेगा। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में से किला नं. 5 में कोई रास्ता स्वीकृत करवाने [illegible] अधिकारी नहीं है। मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.14 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न जबाब प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता बाबत् तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांकः–रीडर/2022/148 दिनांक 04.10.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई कि इस प.नं. 44/343 किला नं. 6, 11 ता 25 की 4.048 हैक्ट. रकबा ऑनलाईन जमाबंदी के खाता सं. 19 में मनजीत सिंह – बेअन्त सिंह पिसरान जलावर सिंह के नाम 1.265 हैक्ट. भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। खाता सं. 19 की 4.048 हैक्ट. भूमि में अन्य कोई निकटतम/वैकल्पिक रास्ता चालू या मंजूरशुदा नही है। प.नं. 44/343 के किला नं. 5 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो खाता सं. 19 के सभी काश्तकारो को सुविधा होगी।

## –:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक रीडर/2022/148 दिनांक 04.10.2023 व धारा 251 (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343(35) किला नं. 5 में 0.013 हैक्ट. रास्ता बजानिब पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर सस्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तक़मील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनाक 5/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
तहसीलदार पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.14 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested